कार्यालयादेश

समस्त अनुभागीय अधिकारी/प्रभारीगण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **उत्तराखण्ड के राज्यपाल, डॉ0 कृष्ण कान्त पाल द्वारा राज्य के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न आयोजनों के अवसर पर "महामहिम" सम्बोधन की परम्परा को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह सम्बोधन केवल विदेशी महानुभावों के साथ होने वाले संवाद आदि के अवसर वर प्रयोग किया जाएगा। राज्यपाल महोदय द्वारा यह भी इच्छा व्यक्त की गयी है कि राज्य के अन्तर्गत होने वाले रैतिक समारोहों में प्रयोग होने वाले "महामहिम" सम्बोधन के स्थान पर "माननीय राज्यपाल" सम्बोधन का प्रयोग किया जायेगा।**

आज्ञा से,

कुलपति।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांकः– 1247/SDSUV/Admin./2015 दिनांकः– 16/01/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव महोदय।
3. वित्त अधिकारी।
4. प्रभारी लेखा।
5. परीक्षा प्रभारी/सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. प्रभारी प्रशासन/प्रभारी मान्यता।
7. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव।